आदेश	कार्यवाही विवरण
	18/12/24 पत्रावली पेश हुई । वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं । न्यायालय का समय पूर्ण होने तक बार-बार आवाज लगाई गई । बार-बार आवाज लगाने के बाद भी वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं । अतः प्रकरण को इसी स्तर पर अदम हाजरी अदम पैरवी में खरिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखील दफ्तर हो । उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

Scanned with OKEN Scanner